



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092022-238614
CG-DL-E-05092022-238614

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 5, 2022/भाद्र 14, 1944

No. 603]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 5, 2022/BHADRA 14, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 682(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 के क्रम सं. 25 में, “*(i) सारणी 1” के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

सारणी-1

क्रम सं.	प्रवर्ग	अवस्थान/क्षेत्र	अनुपालन के लिए समय-सीमा (निवृत्त न होने वाली इकाइयां)		अनुपालन से छूट के लिए इकाइयों को निवृत्त करने की अंतिम तारीख	
			SO ₂ उत्सर्जन से भिन्न पैरामीटर	SO ₂ उत्सर्जन	SO ₂ उत्सर्जन से भिन्न पैरामीटर	SO ₂ उत्सर्जन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	प्रवर्ग क	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या 10 लाख से	31 दिसंबर,	31 दिसंबर,	31 दिसंबर,	

		अधिक जनसंख्या वाले शहरों ¹ की दस किलोमीटर की परिधि के भीतर।	2022 तक	2024 तक	2022 तक	31 दिसंबर, 2027 तक
2.	प्रवर्ग ख	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों ¹ की या गैर-प्राप्ति शहरों ² की दस किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर	31 दिसंबर, 2023 तक	31 दिसंबर, 2025 तक	31 दिसंबर, 2025 तक	
3.	प्रवर्ग ग	प्रवर्ग क और ख में सम्मिलित से भिन्न	31 दिसंबर, 2024 तक	31 दिसंबर, 2026 तक	31 दिसंबर, 2025 तक	

1 भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार

2 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा-परिभाषित।

3. “(ii)” के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

‘(ii)(क) सारणी 1 के स्तंभ (6) में यथा-विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व निवृत्त होने के लिए घोषित तापीय विद्युत संयंत्र से, ऐसे संयंत्रों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को ऐसे संयंत्र द्वारा निवृत्त होने के आधार पर छूट के लिए वचनबद्ध प्रस्तुत करने की दशा में SO₂ उत्सर्जन से भिन्न पैरामीटर के लिए विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने की अपेक्षा नहीं होगी:

परंतु ऐसे संयंत्रों पर सारणी 1 के स्तंभ (4) में यथा-विनिर्दिष्ट तारीख से उनके द्वारा वचनबद्ध में यथा-विनिर्दिष्ट तारीख से आगे जारी रहता है, उनके प्रचालन की दशा में जनित विद्युत की प्रति इकाई पर 0.40 रुपए की दर से पर्यावरण प्रतिकर उदग्रहित किया जाएगा;

(ii)(ख) सारणी 1 के स्तंभ (7) में यथा-विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व निवृत्त होने के लिए घोषित तापीय विद्युत संयंत्र से, ऐसे संयंत्रों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को ऐसे संयंत्र द्वारा निवृत्त होने के आधार पर छूट के लिए वचनबद्ध प्रस्तुत करने की दशा में SO₂ उत्सर्जनों से भिन्न विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने की अपेक्षा नहीं होगी:

परंतु ऐसे संयंत्रों पर सारणी 1 के स्तंभ (5) में यथा-विनिर्दिष्ट तारीख से उनके द्वारा वचनबद्ध में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से आगे जारी रहता है, उनके प्रचालन की दशा में जनित विद्युत की प्रति इकाई पर 0.40 रुपए की दर से पर्यावरण प्रतिकर उदग्रहित किया जाएगा;’

4. “(iii)” के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(iii) सारणी 1 के स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में यथा-विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् निवृत्त न होने वाले तापीय विद्युत संयंत्रों पर सारणी-2 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार, पर्यावरण प्रतिकर उदग्रहित किया जाएगा, अर्थात् :--

सारणी-2

समय-सीमा से आगे अननुपालन प्रचालन	पर्यावरण प्रतिकर (प्रति इकाई जनित विद्युत)
0-180 दिन	0.20
181-365 दिन	0.30
366 दिन और उससे आगे	0.40”

[फा. सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 143(अ), तारीख 22 फरवरी, 2022 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2022

G.S.R. 682(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

- (1) These rules may be called the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule – I, in serial number 25 for “* (i) Table 1” the following shall be substituted, namely: -

Table-I

Sl. No.	Category	Location/area	Timelines for compliance (Non-retiring units)		Last date for retirement of units for exemption from compliance	
			parameters other than SO ₂ emissions	SO ₂ emissions	parameters other than SO ₂ emissions	SO ₂ emissions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Category A	With 10 km radius of National Capital Region or cities having million plus population ¹ .	Up to 31 st December 2022	Up to 31 st December 2024	Up to 31 st December 2022	Up to 31 st December 2027
2	Category B	With 10 km radius of Critically Polluted Areas ² or Non-attainment cities ²	Up to 31 st December 2023	Up to 31 st December 2025	Up to 31 st December 2025	
3	Category C	Other than those included in category A and B	Up to 31 st December 2024	Up to 31 st December 2026	Up to 31 st December 2025	

¹ As per 2011 census of India.

² as defined by CPCB.

3. For “* (ii)” the following shall be substituted, namely: -

“(ii) (a) The thermal power plant declared to retire before the date as specified in column (6) of Table-I shall not be required to meet the specified norms for parameters other than SO₂ emissions in case such plants submit an undertaking to CPCB and CEA for exemption on ground of retirement of such plant:

Provided that such plants shall be levied environment compensation from the dates as specified in column (4) of table –I, at the rate of rupees 0.40 per unit electricity generated in case their operation is continued beyond the date as specified in the undertaking;

(ii) (b) The thermal power plant declared to retire before the date as specified in column (7) of Table-I shall not be required to meet the specified norms for SO₂ emissions in case such plants submit an undertaking to CPCB and CEA for exemption on ground of retirement of such plant:

Provided that such plants shall be levied environment compensation from the dates as specified in column (5) of table –I, at the rate of rupees 0.40 per unit electricity generated in case their operation is continued beyond the date as specified in the undertaking;”

4. For “* (iii)” the following shall be substituted, namely: -

“(iii) there shall be levied environment compensation on the non-retiring thermal power plants, after the date as specified in column (4) and (5) of Table-I, as per the rates specified in the Table-II, namely: -

Table-II

Non-Compliant operation beyond the Timeline	Environmental Compensation (Rs. per unit electricity generated)
0-180 days	0.20
181-365 days	0.30
366 days and beyond	0.40”

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended vide notification G.S.R. 143(E), dated the 22nd February, 2022.

IndiaCode